न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.

मुकदमा न0 809/2020

तारीख रजु 23.11.2020

उनवान

1. प्यारसिंह आयु 70 साल	पिसरान चरणसिंह, जाति जाट
2. ज्वालासिंह आयु 65 साल	निवासी हुक्मीखेडा, तहसील
3. विजयसिंह आयु 60 साल	सूरौठ, जिला करौली (राज0)

सायलान------03

बनाम

1. तेजो पत्नि मनोहरी आयु 80 साल	जाति जाट, निवासी हुक्मीखेडा
2. रमनसिंह पुत्र मनोहरी आयु 40 साल	तहसील सूरौठ, जिला करौली
3. गुमानसिंह पुत्र मनोहरी आयु 35 साल	(राज0)

गैरसायलान ---03

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट सायल

श्री शर्दीलाल चौधरी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक– 26.12.2023

निर्णय

वाकेयात इस प्रकार है कि वादी/सायलान ने प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए खिलाफ गैरसायलान के पेश कर निवेदन किया गया है कि खाता स0 76 में वर्णित आराजी खसरा न0 1927 रकबा 0.19 है0, 1928 रकबा 0.30 है0, 1929 रकबा 0.13 है0, 1930 रकबा 0.35 है0, 1931 रकबा 0.39 है0, 1934 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.56 है0 ग्राम हुक्मीखेडा तह0 सूरौठ में है जिसमें सायलान का 1/36–1/36 वा हिस्सा तथा खाता स0 80 में वर्णित खसरा न0 1963 रकबा 0.18, 1967 रकबा 0.12 कुल किता–2 रकबा 0.30 है0 ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ में सायलान का हिस्सा 1/60–1/60 वां एवं खाता स0 78 में वर्णित ख0 न0 1932 रकबा 0.22 है0, खसरा न0 1945 रकबा 0.12 है0, खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1946 रकबा 0.12 है0 1957 रकबा 0.34 है0, खसरा न0 1966 रकबा 0.30, खसरा न0 2018 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.23 है0 ग्राम हुक्मीखेडा में सायलान का 1/36–1/36 वा हिस्से तथा खाता स0 134 के खसरा न0 1559 रकबा 0.14 है0, 1560 रकबा 0.93 है0, 1594 रकबा 0.73 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.80 है0 ग्राम हुक्मीखेडा में सायल न0 1 का 1/2, सायल न0 2 का 1/12 सायल न0 3 का 1/36 के हिस्से के खातेदार तथा खाता संख्या 135 के खसरा न0 1561 रकबा 0.70 है0 ग्राम हुक्मीखेडा में सायल संख्या 1 का 1/12, सायल संख्या 2 का 1/12 सायल सख्या 3 का 1/36 हिस्सा के खातेदार काश्तकार एवं खाता संख्या 77 के खसरा न0 1942 रकबा 0.33, 1943 रकबा 0.32 है0 1947 रकबा 0.40 है0, 1948 रकबा 0.51 है0, 1964 रकबा 0.33 है0, 1965 रकबा 0.41 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.30 है0 ग्राम हुक्मीखेडा में सायलान का 1/54–1/54 वा हिस्से के खातेदार काश्तकार है जिसमें सभी आराजी पर अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काबिज एवं दखील चले आ रहे है। इस विवादित आराजीयात का अभी तक राजस्व रिकॉर्ड सह खातेदारों के मध्य विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। सभी खातेदारों ने अपने–अपने हिस्से का बहामी बटवारा कर रखा है। उसी अनुसार साविक खातेदार पृथक काश्त कर रहे है। गैरसायल संख्या 1 ता 3 का विवादित होने से कोई संबंध व तालुक नहीं है। गैरसायल संख्या 1 ता 3 के मन में वदयांति है। आये दिन सायलान की दौल मैड को तोडते हुए विवाद करते रहते है। और जमीना को छिनने की कोशिश कर बेदखल करने पर आमादा है।

वाकिया दिनांक 24.10.2020 को सायलान सुबह करीब 8 बजे अपने हिस्से की खातेदारियान को बुवाई के लिये साव सबार कर रहे थे को अचानक मौके पर गैरसायलान न0 1 ता 3 आ गये तथा मौके पर जमीन से बेदखल करने की धमकी दी, तथा भूमि को रहनव्यय करने को भी कहा गया । जिसमें सायलान ने गैरसायलान को समझाया किन्तु वे नहीं माने। गैरसायलन की इस हठधर्मी पर आमरा है, गैरसायलान इस कार्य में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसे पूर्ति किसी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। साथ ही सायलन ने गैरसायलान एवं खातेदारों से बटवारा हेतु कहा गया तो उन्होने इंकार कर दिया गया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सायलान के पक्ष में प्राईमाफेशी एवं सुविधा का संतुलन साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को उपरोक्त आराजी पर एवं सहखातेदारान को बटवारा नहीं है। तक तक ता फैसला दावा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रा0 पत्र सायलान का दर्ज पंजिका कर गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया, जिसमें गैरसायलान स0 1 ता 3 दिनांक 27.01.2021 को जरिये वाकुलायत उपस्थित आये। गैरसायलान का जबाव प्रा0 पत्र पेश करने हेतु दि0 27.04.2021 से 04.04.2023 तथ करीबन दो साल का समय दिया गया किन्तु गैरसायलान ने दिनांक 04.04.2023 को जबाव पेश नहीं करने पर जबाव प्रार्थना पत्र बंद कर दिया गया।

वाकुलाय की बहस सूनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान ने अपने बहस के कथन में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में सायलान व दावा में वर्णित प्रतिवादी स0 4 ता 19 की सह खातेदारी की भूमि है। जिसका मौका पर वाहमी तौर पर बटवारा कर लिया गया है। उन्ही अनुसार मौका पर काबिज होकर प्रतिकाल पृथक काश्त कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में बटवारा नहीं हुआ है। जिसके लिये दावा किया हुआ है। गैरसायलान का इसी आराजी से कोई लेना देना नहीं है। आये दिन डोल–मेंद पर झगडा करने पर आमदा है। इन्हे पाबन्द फरमाया जावे।

वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में कहा गया कि सायलान व सहखातेदारान के मध्य अभी तक बटवारा नहीं हुआ है। जिसमें यह ज्ञात नहीं है कि सायलान किस आराजी पर काबिज है साथ ही सायलान ने कोई सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सायलान द्वारा मनगढंत बाते अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गयी है। मौका पर किसी प्रकार का काई विवाद नही है। प्रार्थना पत्र सायलान का खारजि फरमाया जावे।

हमने वाकेलाय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी प्रार्थना पत्र के मद न0 2 ता 7 मे विर्णत खाता न0 76, 80, 78, 134, 135, 77 राजस्व जमाबंदी संबत 2071–74 में खातेदारी दावा में सायलान एवं प्रतिवादी से 4 ता 19 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसका अभी तक सह खातेदारान के मध्य बटवारा नहीं हुआ है। गैरसायलान संख्या 1 ता 3 का भूमि से कोई संबंध नहीं है। तथा इस संबंध में अपनी ओर से कोई जबाब

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र बचाव हेतु पेश नहीं किया गया है, जो दौराने बहस कथन किये गये है। जो मौखिक है मानने योग्य नहीं है, इस प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार सायलान का प्राईमाफेसी एवं सुविधा का संतुलन साबित हो रहा है। गैरसायलान का इस भूमि से कोई संबंध ही नहीं है तो अपने--अपने आप में सायलान की भूमि पर अपूर्णनीय क्षति हाने की संभावना बनना प्रतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को पाबंद करना उचित समझते है।

अतः गैरसायलान का ता फैसला दावा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 1927,1928,1929,1930,1931,1934,1963,1967,1932,1945, 1946,1957,1966, 2018, 1559, 1560, 1594, 1561,1942,1943,1947, 1948, 1964 1965, मे सायलान के हिस्से मे वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करोली में उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, मौका पर से बेदखल नहीं करे, तथा सह खातेदारान जब तक राजस्व रिकॉर्ड में बटवारा नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार की कोई कार्य स्वयं अथवा अन्य से नहीं करावे। सायलान को शांतिपूर्वक अपने हिस्से पर काश्त करने देवे। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील मूल दावा में शामिल हो।

निर्णय दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन
जिला करौली